N.I.C

<u>कार्यालय जिलाधिकारी, बलिया</u>

संख्या– मेमो /सी0आर0ए0–आपदा　　　　　　　　　　दिनांकःनवम्बर 18 ,2015

<u>सूचना</u>

सचिव एवं राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग–10, लखनऊ के पत्र संख्या–1092/1–10–2014–12(34)/03 टी0सी0–1, दिनांक 04 नवम्बर, 2015 द्वारा वर्ष 2015–16 में ओलावृष्टि के पूरक यथा अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम् उद्यम अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–3/2015/618/18–2–2015–12 (एस0पी) /2014, दिनांक 12 अगस्त, 2015 जो कि सरकारी विभागों एवं शासकीय नियंत्रणाधीन उपकमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों/स्वयत्तशासी संस्थाओं (जिन्हें आगे केता एजेन्सी कहा गया है) द्वारा उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, यूपिका उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थाओं, श्री गांधी आश्रम तथा उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम (पूर्ववर्ती उ0प्र0 निर्यात निगम) के माध्यम से लघु एवं कुटीर तथा हथकरघा इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की कय अनिवार्यता के सम्बन्ध में है, में दिये गये निर्देशानुसार कम्बल आदि का कय किया जायेगा ।

कय किये जाने वाले कम्बलों की पूर्व निर्धारित दर रू0 500.00 से अधिक न हो तथा मानक लम्बाई कम से कम 235 से0मी0 चौड़ाई कम से कम 140 से0मी0 तथा वजन कम से कम 2 किलो 200 ग्राम होना चाहिये । इन कम्बलों में कम से कम 70 प्रतिशत ऊन होना चाहिये तथा पुराने यार्न का प्रयोग नहीं होना चाहिये ।

आपूर्ति संस्था को इस आशय का टैग लगाना होगा जिस पर सम्बन्धित संस्था का नाम कम्बल की लम्बाई, चौड़ाई एवं वजन का विवरण होगा । यह भी अंकित करना होगा कि कम्बल राजस्व विभाग के सौजन्य से निःशुल्क वितरित किया जा रहा है जो बिकी के लिये नहीं है ।

अतएव उपर्युक्त इच्छुक संस्था जनपद बलिया में उपरोक्त शर्तो के कम में कय किये जाने वाले कम्बलों का कोटेशन दिनांक 25.11.15 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कम्बल के नमूने सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि इसकी गुणवत्ता का परीक्षण कर कम्बलों की आपूर्ति हेतु आदेश पारित किया जा सके ।

18/11/15
(के0पी0 सिंह)
अपर जिलाधिकारी (वि/रा)
बलिया